निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

21 वैशाख 1932 (श0)

(सं0 पटना 313) पटना, मंगलवार, 11 मई 2010

समाज कल्याण विभाग

————————

अधिसूचनाएं

8 मई 2010

बिहार बाल विवाह प्रतिषेध नियमावली, 2010

सं0 10/बालविवाह–03/2007–1024—बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 (2007 का 6) की धारा–19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, बिहार निम्नलिखित नियमावली बनाती है, यथा

नियमावली

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ।—(1) यह नियमावली बिहार बाल विवाह प्रतिषेध नियमावली, 2010 कही जा सकेगी।

(2) यह सम्पूर्ण बिहार राज्य में लागू होगी।

(3) यह बिहार राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख के प्रभाव से प्रवृत्त होगी।

2. परिभाषाएँ।—जबतक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में—

I) ''अधिनियम'' से अभिप्रेत है बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 (2007 का 6)

(II) ''न्यायालय'' से अभिप्रेत है अधिनियम में यथापारिभाषित जिला न्यायालय,

(III) ''व्यथित व्यक्ति'' से अभिप्रेत है बाल विवाह का कोई संविदाकारी पक्षकार,

(IV) ''बाल कल्याण समिति'' से अभिप्रेत है किशोर न्याय (बालकों की देख–रेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 के उपबंधों के अधीन गठित समिति,

(V) ''फारम'' से अभिप्रेत है इस नियमावली से संलग्न फारम,

(VI) ''बाल विवाह प्रतिषेध पदाधिकारी'' से अभिप्रेत है धारा–16 की उप–धारा (3) में उल्लिखित कृत्यों को करने के प्रयोजनार्थ अधिनियम की धारा–16 की उपधारा (1) के अधीन बिहार सरकार द्वारा अधिसूचित व्यक्ति।

(VII) इस नियमावली में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित शब्दों से वही अभिप्रेत होंगे, जो अधिनियम में परिभाषित हों।

3. (1) अकृतता की डिक्री द्वारा बाल विवाह बातिल करने के लिए धारा–3 की उप–धारा (1) के उपबंध के अधीन अर्जी उस क्षेत्र की अधिकारिता रखने वाले न्यायालय के समक्ष दाखिल की जा सकेगी। (*ii*) अधिनियम के अधीन अधिकारिता का प्रयोग करते समय न्यायालय को सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (5, 1908) के उपबंध की सारी शक्तियाँ होंगी और वह उसी के द्वारा शासीत होगी।

(2) न्यायालय द्वारा लौटाए जाने के लिए आदेशित जेवरात सहित वस्तुएँ या कोई राशि न्यायालय के पीठासीन पदाधिकारी की उपस्थिति में लौटाई जाएगी।

(3) किसी राशि या वस्तु की वापसी के लिए कोई आदेश सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन डिक्री के रूप में निष्पादनीय होगा।

4. (1) विवाह के अनुबंध के संदर्भ में महिला पक्षकार को भरण–पोषण की एक मुश्त राशि नियम 4 की उप–धारा (I) के अन्तर्गत विवाह के निमित दिये गये आदेश के अधीन पीठासीन पदाधिकारी के न्यायालय की उपस्थिति में देय होगा।

(2) जब विवाह का संविदकारी पुरूष पक्षकार या उसका अभिभावक, जहाँ संविदाकारी पुरूष पक्षकार अव्यस्क हो, अधिनियम की धारा–4 की उप–धारा (1) के अधीन पारित न्यायालय के आदेश का पालन करने में विफल रहता है तो व्यथित पक्षकार उसके निष्पादन के लिए जिला न्यायालय में आवेदन कर सकेगा। जिला न्यायालय दंड प्रकिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के अध्याय *ix* के उपबंधों के अनुसार आदेश करेगा।

5. अधिनियम की धारा–5 की उप–धारा (1) के अधीन न्यायालय द्वारा पाारित किसी आदेश की प्रति बाल कल्याण समिति को भेजी जाएगी, जिसका समय–समय पर यह सुनिश्चित करना कर्तव्य होगा कि प्राधिकृत अभिरक्षक से बच्चा की उचित देखभाल और संरक्षण मिल रहा है।

6. जहाँ संविदाकारी पक्षकार या कोई अन्य पक्षकार अव्यस्क हो वहाँ उपयुक्त मामले में न्यायालय उसे बच्चा के सर्वोत्तम हित के संरक्षण के लिए बाल कल्याण समिति को निर्देश करेगा।

7. धारा–5 की उप–धारा (4) के अधीन पारित आदेश उसमें नियम 4 के उपनियम (2) के अधीन उपबंधित रीति से निष्पादनीय होगा।

8. अधिनियम की धारा–7 के अधीन पारित आदेश की प्रति संविदाकारी पक्षकारों तथा उनके अभिभावक, दोनों के साथ–साथ बाल विवाह प्रतिषेध पदाधिकारी को भी दिया जाएगा।

9. (1) किसी क्षेत्र में बाल विवाह के अनुष्ठान की संभावना से संबंधित सूचना किसी व्यक्ति द्वारा बाल विवाह प्रतिषेध पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, थाना या ग्राम पंचायत के सरपंच को मौखिक या लिखित या डाक से या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दी जा सकेगी।

(2) बाल विवाह प्रतिषेध पदाधिकारी से भिन्न अधिकारी बाल विवाह के अनुष्ठान की संभावना की सूचना प्राप्त करने पर ऐसी सूचना, अपनी रिपोर्ट के साथ, बाल विवाह प्रतिषेध पदाधिकारी को देंगे, उसके बाद वह अधिनियम के उपबंधों के अधीन उपयुक्त कार्रवाई करेगा।

(3) जिला पदाधिकारी अधिनियम की धारा–13 की उप–धारा (5) के अधीन आदेश पारित कर सभी या किसी थाना को निर्देश दे सकेगा कि वह धार्मिक और सार्वजनिक स्थानों पर निगरानी रखे तथा बाल विवाहों के अनुष्ठापन को रोकने और प्रतिषेध करने के लिए उचित कार्रवाई करें, विशेषकर वैसे विशेष अवसरों पर जब बड़े पैमाने पर बाल विवाह का अनुष्ठापन किया जाता है।

10. बाल विवाह प्रतिषेध पदाधिकारी के कर्त्तव्यः– बाल विवाह प्रतिषेध पदाधिकारी अधिनियम की धारा–16 की उप–धारा (3) के खंड (क) से (च) तक में उल्लिखित कर्त्तव्यों के अतिरिक्त निम्नलिखित कृत्यों और कर्त्तव्यों का निर्वहन करेगा, यथाः–

(1) अधिनियम के अधीन व्यथित व्यक्ति तथा उसके कुटुम्ब या उसके साथ आने वाले व्यक्ति या अन्य व्यक्ति के अधिकारों के बारे में जानकारी देना,

(2) राज्य विधिक सहायता सेवा प्राधिकार के माध्यम से व्यथित व्यक्ति को विधिक सहायता प्रदान करना,

(3) व्यथित व्यक्ति की आश्रयालयों के बारे में जानकारी देना और यदि अपेक्षा की जाए तो न्यायालय की कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान या अन्यथा व्यथित व्यक्ति की सुरक्षा के प्रयोजनार्थ आश्रयालयों में उनके आश्रय की व्यवस्था करना,

(4) अधिनियम के अधीन किए गए अपराधों के संबंध में न्यायालय में आवेदन भरने में व्यथित व्यक्ति की सहायता करना,

(5) बाल विवाह के अनुष्ठापन की संभावना समाप्त करने के लिए अपने क्षेत्राधिकार वाले क्षेत्र में निगरानी रखना,

(6) यदि उसे किसी बाल विवाह के अनुष्ठापन की सूचना मिले, जिसमें बच्चा/बच्ची अव्यस्क हो, तो अनैतिक व्यापार (प्रतिषेध) अधिनियम, 1956 (1956 का 104) के अधीन नियुक्त विशेष पुलिस पदाधिकारियों सहित पुलिस प्राधिकारियों को सूचित करना, यदि—

(I) विधि पूर्ण अभिभावक से ले लिया गया हो या फुसला कर ले जाया गया हो, या

(II) बल पूर्वक बाध्य किया गया हो, या

(III) किसी स्थान से जाने के लिए किसी प्रवंचनापूर्ण उपाय से उत्प्रेरित किया गया हो, या

(IV) विवाह के प्रयोजनार्थ बेचा गया हो और विवाह के किसी स्वरूप को पूरा करने के लिए बाध्य किया गया हो, या

(V) विवाहित हो और उसके बाद अनैतिक प्रयोजन के लिए बेचा गया हो या दुर्व्यापारित या उपयोग किया गया हो,

(7) बाल विवाह से होनेवाली बुराईयों के प्रति जागरूकता लाने के प्रयोजनार्थ तथा बाल विवाह पर समुदाय को संवेदनशील बनाने के लिए—

(I) जागरूकता अभियान एवं प्रचार अभियान चलाना;

(II) शैक्षिक संस्थानों का भ्रमण आयोजित करना; और

(III) इलाके के निवासियों के लिए बैठकें आयोजित करना।

(8) यथास्थिति, जिला न्यायालय, प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की प्रस्तुत सुसंगत दस्तावेजों का अभिलेख और प्रतियाँ संधारित करना,

(9) यदि बाल विवाह के किसी या दोनों पक्षों द्वारा अनुरोध किया जाए, तो बाल विवाह को निष्प्रभावी करने की कार्यवाही के दौरान जिला न्यायालय के समक्ष रखने के लिए विवाह के अवसर पर उनके द्वारा अन्य पक्ष से प्राप्त धन, बहुमूल्य वस्तुओं, जेवरातों और उपहारों की सूची बनाने में सहायता करना।

11. बाल विवाह घटित होने की रिपोर्टः—

(1) यदि किसी व्यक्ति को यह विश्वास करने का कारण हो कि बाल विवाह अनुष्ठापित किया गया है या किया जा रहा है या किया जाने वाला है तो वह इसकी सूचना पत्र, ई—मेल या दूरभाष या किसी अन्य रीति से उस क्षेत्र की अधिकारिता वाले बाल विवाह प्रतिषेध पदाधिकारी को दे सकेगा।

(2) यदि सूचना प्राप्त होने पर कि बाल विवाह अनुष्ठापित किया गया है या किया जा रहा या किया जाने वाले है, बाल विवाह प्रतिषेध पदाधिकारी फारम—1 में बाल विवाह घटना रिपोर्ट तैयार करेगा और उसे न्यायालय को प्रस्तुत करेगा तथा उसकी प्रतियाँ उस थाना के प्रभारी पुलिस पदाधिकारी को अग्रसारित करेगा जिसकी अधिकारिता वाली स्थानीय सीमा के अन्तर्गत अभिकथित बाल विवाह अनुष्ठापित हुआ हो या हो रहा हो या होनेवाला हो।

(3) इस नियमावली में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, बाल विवाह प्रतिषेध पदाधिकारी बाल विवाह से संबंधित सूचना को अभिलिखित करने से इस आधार पर इनकार नहीं करेगा कि अभिकथित बाल विवाह का अनुष्ठापन उसके क्षेत्राधिकार से बाहर के क्षेत्र में हुआ है या हो रहा है या होनेवाला है। वह ऐसी सूचना को अभिलिखित करेगा और उसे तुरन्त संबंद्ध बाल विवाह प्रतिषेध पदाधिकारी को अग्रसारित करेगा। संबंद्ध बाल विवाह प्रतिषेध पदाधिकारी, जिसे ऐसी सूचना अग्रसारित की जाए, फारम—1 में सूचना अभिलिखित करेगा।

(4) बाल विवाह प्रतिषेध पदाधिकारी बाल विवाह घटना रिपोर्ट की प्रति शिकायतकर्त्ता को मुक्त पत्र देगा।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
(ह0) अस्पष्ट,
संयुक्त सचिव।

फारम–1

नियम–II

बाल विवाह घटना रिपोर्ट

बाल विवाह अभिलेख रजिस्टर क्र0सं0–... दिनांक–..

क

गॉव/वार्ड सं0 और नाम	ग्राम पंचायत/प्रखंड/ नगरपालिका निकाय	अनुमंडल	जिला

1. बाल विवाह के बालक का नाम/उम्र
2. बाल विवाह के बालक के पिता का नाम
3. बाल विवाह के बालक की माता का नाम
4. बाल विवाह के बालक का पता/दूरभाष संख्या
5. बाल विवाह की बालिका का नाम/उम्र
6. बाल विवाह की बालिका के पिता का नाम
7. बाल विवाह की बालिका के माता का नाम
8. बाल विवाह की बालिका का पता/दूरभाष संख्या
9. बाल विवाह की तारीख
10. बाल विवाह का स्थान
11. उस थाना का नाम जहॉ शिकायत रजिस्ट्रीकृत किया गया
12. प्रथम इत्तिला रिपोर्ट संख्या

ख बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 के अधीन लिया जानेवाला आदेश

क्रमांक	आदेश	हॉ/ना	कोई अन्य
1	2	3	4
	धारा–13 के अधीन प्रतिषेधात्मक आदेश धारा–3 के अधीन बातिलीकरण आदेश धारा–4 (4) के अधीन निवास आदेश धारा–4(1) के अधीन भरण–पोषण आदेश धारा–5 के अधीन अभिरक्षा आदेश धारा–3(4) के अधीन निबंधन आदेश कोई अन्य आदेश		

एतद् द्वारा मैं प्रमाणित करता हूँ कि श्री .... पुरूष संविदाकारी पक्षकार पुत्र श्री .... निवासी .... और श्रीमती .... महिला संविदाकारी पक्षकार पुत्री श्री .... निवासी .... का बाल विवाह .... स्थान पर दिनांक को अनुष्ठापित किया गया, को कार्यालय के बाल विवाह, अभिलेख रजिस्टर में अभिलिखित कर लिया गया है।

बाल विवाह प्रतिषेध
पदाधिकारी
मुहर

8 मई 2010

सं0 10/बालविवाह–03/2007–1024——का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार–राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,

(ह0) अस्पष्ट,

संयुक्त सचिव।

Bihar Prohibition of Child Marriage Rules, 2010

The 8th May, 2010

सं0 10/बालविवाह–03/2007–1024—In exercise ofthe power conferred by section 19 of the Prohibition of Child Marriage Act, 2006 (No. 6 of 2007) the State Government of Bihar makes the following Rules, namely:-

Rules

1. *Short title, extent and commencement*:—(1) These rules may be called the Bihar Prohibition of Child Marriage Rule, 2010.

(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.

(3) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. *Definition:*—In these Rules, unless the context otherwise requires:—

(1) 'Act' means the Prohibition of Child Marriage Act, 2006 (6 of 2007)

(2) "Court" means the district court as defined in the Act.

(3) "Aggrieved Person" means any of the contracting party to a child marriage;

(4) "Child Welfare Committee" means the committee constituted under the provisions of Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2000

(5) "From" means a form appended to these rules.

(6) "Child Marriage Prohibition Officer" means a persons notified by the Government of Bihar under sub-section (1) of Section 16 of the Act the purpose of carrying out the functions as mentioned in the sub section (3) of the section 16.

(7) The Words used in these rules but not defined shall have the same meaning as defined in the Act.

3. (1) The petitioner under the provision of sub section (1) of Section 3 for annulling a child marriage by a decree of nullity may be filed before the court exercising jurisdiction in that area (ii) The court while exercising jurisdiction under the Act shall have all the powers and shall be governed by the provision of Civil Procedure Code, 1908 (No. 5 of 1908).

(2) Any sum or articles including armaments ordered to be returned by the court, shall be returned in the presence of Presiding Officer of the Court.

(3) Any order for return of any sum or article shall be executable as a decree under the Civil Procedure Code, 1908 (No. 5 of 1908).

4. (1) Any order for return of any sum or article under sub Rule (1) of section 4 of the act for payment of maintenance in lump-sum to the female contracting party of the marriage shall be paid within 30 days from the date of passing order, in the presence of Presiding Officer of the Court. If the amount of maintenance is payable monthly the concerned party or guardian shall pay the same to the female contracting party of the marriage by 15^{th} day of each calendar month. (2) When the male contracting party to the marriage or his guardian where the male contracting party is minor fails to obey the order of the court passed under Sub-section (1) of Section 4 of the Act then the aggrieved party may file an application for execution in the district court. The district court shall make an

order in accordance with provisions of chapter IX of the Code of Criminal Procedure, 1973 (No. 2 of 1974).

5. A copy of any order passed by the court under sub-section (1) of section 5 of the Act shall be sent to the Child Welfare Committee whose duty shall be to ensure from time to time that the child is getting proper care and protection from authorized custodian.

6. In cases where the contracting parties or any other party is minor the court shall in appropriate cases refer then to Child Welfare Committee for protecting the Best interest of the Child.

7. An order passed under sub-section (4) of section 5 shall be executable in the manner provided herein before under sub-rule (2) of Rule 4.

8. A copy of an order passed under section 7 of the Act shall be given to both the contracting parties and their guardian and also to the Child Marriage Prohibition Officer.

9. (1) Information regarding of likelihood of solemnization of child marriage in any area may be given by any person orally or in writing or by post or by electronic mode to the Child Marriage Prohibition Officer, Block Development Officer, Police Station or Sarpanch of the Gram Panchayat.

(2) The officials other than the Child Marriage Prohibition Officer, on receiving the information of likelihood of solemnization of child marriage, shall furnish such information to Child Marriage Prohibition Officer along with this report, who shall then take an appropriate action under the provisions of the Act.

(3) District Magistrate may pass an order under Sub section (5) of section 13 of the Act directing all or any Police Stations to keep vigil at religions and public places and also to take appropriate action to check and prevent the solemnization of child marriages, specially during special occasions when mass child marriages are solemnized.

10. Duties of Child Marriage Prohibition Officer:- In addition to the duties mentioned in clauses (a) to (f) of sub section (3) of section 16 of the Act, the Child Marriage Prohibition Officer shall discharge the following functions and duties, namely:-

(1) The provide the information about the rights of aggrieved persons and his relatives or the person accompanying him or other person under the Act;

(2) To provide legal aid to the aggrieved person through the State Legal Aid Services Authority;

(3) To inform the aggrieved person about the shelter homes and if required, arrange for their shelter in shelter homes for the purpose of safety of the aggrieved person during the pendency of the proceedings of the Court or otherwise;

(4) To Assist the aggrieved person in filling an application in the Court regarding the offenses committed under the Act;

(5) To keep vigilance in the area under his jurisdiction for eliminating the possibility of solemnization of child marriage;

(6) To inform the police authorities including the special police officers appointed under the Immoral Traffic (Prevention) Act, 1956 (104 of 1956), if he comes to know of the solemnization of any child marriage wherein the child being a minor, is:-

(i) Taken or enticed out of the keeping of the lawful guardian; or

(ii) Compelled by force; or

(iii) Induced by any deceitful means to go from any places; or

(iv) Sold for the purpose of marriage , and made to go through a form of marriage; or

(v) Married and after which is sold or is trafficked or used for immoral purpose;

(7) To—

(i) Organise awareness drives and campaigns;

(ii) Organise visits to educational institutions; and

(iii) Hold meetings for the residents of the locality;

For the propose of creating awareness of the evils result from child marriage and for sensititzing the community on the issue of child marriages;

(8) To maintain a record and copies of the relevant documents submitted to the District Court, Judicial Magistrate of the First Class or Metropolitan Magistrate, as the case may be;

(9) To assist, if requested by either or both the parties to the child marriage, in preparing a list of money, valuables arnaments and gifts received on occasion of the marriage by them from the other side for placing it before the District Court during the proceeding of annulment of child marriage.

11. *Child Marriage Incident Report:*—(1) Any person who has reason to beliveve that a Child Marriage has been, or is being, or is likely to be solemnized, may give information through letter, e-mail or a telephone call or in any other form, to the Child Marriage Prohibition Officer having jurisdiction in the area.

(2) Upon receipt of information that a child marriage has been, or is being, or is likely to solemnized, the Child Marriage Prohibition Officer shall prepare a child marriage incident report in From-I and submit the same to the court and forward copies thereof to the police officer in-charge of the police station within the local limits of whose jurisdiction the child marriage alleged to have been, or is being, or is likely to be, solemnized.

(3) Notwithstanding anything contained is these, the Child Marriage Prohibition Officer shall not refuse to record information regarding child marriage on the ground that the child marriage alleged to have been, or is being, or is likely to be, solemnized outside the area of his Jurisdiction. He shall record and immediately forward such information to the concerned Child Marriage Prohibition Officer. The concerned Child Marriage Prohibition Officer to whom such information is forwarded shall record the information in Form I.

(4) The Child Marriage Prohibition Officer shall furnish, free of cost, to the Complainant, the copy of Child Marriage Incident Report.

By order of the Government of Bihar,

(Sd.) Illegible,

Joint Secretary.

FROM I
(Rule 11)
CHILD MARRIAGE INCIDENT REPORT

Marriage Record Register S No .. . . Date: ……………………………
(A)

Village/Ward No. and Name	Gram Panchayat/ Block/ Municipal Body	Sub-Division	District
1	2	3	4

1. Name/age of the male child of the child marriage.
2. Name of the Father of the Male Child of the child marriage.
3. Name of the Mother of the Male Child of the Child Marriage.
4. Address/telephone no. of the Male child of the child marriage.
5. Name/age of the Girl Child of the Child Marriage.
6. Name of the Father of the Girl Child of the child marriage.
7. Name of the Mother of the Girl Child of the child marriage.
8. Address/telephone no. of the Girl Child of the child marriage.
9. Date of Child Marriage.
10. Place of Child Marriage.
11. Name of the Police Station where complaint was registered.
12. F.I.R. No.

(B) Order that need to be obtained under the Prohibition of Child Marriage Act, 2006

Sl. No.	Orders	Yes/No.	Any order
1	2	3	4
1	Prohibitory injunction under section 13		
2	Annulment order under section 3		
3	Residence order under section 4 (4)		
4	Maintenance order under section 4 (1)		
5	Custody order under section 5		
6	Any other order		

It is hereby that the child marriage of Sri ……………………… ……………………(male contacting party) S/o- ………………………………. Resident of …………………… ………………………………………………………….And Smt.…………………….…………………………………………………………….... ……………………..(female contracting pary) D/o- Sri …………………………… ………………………………..resident of…………………………………… solemnized at ………………………. ………………………………… on ………………………… is recorded in the Child Marriage Record Register in the office.

Child Marriage Prohibition Officer
(Seal)

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 313-571+2000-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in